कवीन्द्र कुमार, सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो,
बिहार शरीफ, नालंदा ।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1482 / 2026
गिरियक(पावापुरी) थाना काण्ड सं0–247 / 2026

11.08.2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र–स्व0 जितेन्द्र कुमार, साकिन–घोसरावां, थाना–गिरियक (पावापुरी) की ओर से दि.18.07.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार द्वारा प्रचालित किया गया । विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार को भी सुना । पीड़िता (x) के माता द्वारा पावापुरी ओ0पी0 में दिये गये लिखित आवेदन दि. 15.05.2026 के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध गिरयिक(पावापुरी) थाना काण्ड सं0–247 / 2026 अंतर्गत धारा–137(2), 140(3) भा. द. वि. के तहत दर्ज किया गया, उसी से यह जमानत आवेदन उत्पन्न है । अनुसंघान के क्रम में पीड़िता (x) के घ ाारा–180 व 183 भा. ना. सु. सं. के बयान के आलोक में अभियुक्त बनाया गया है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पीड़िता(x) की माता ने दि. 15.05.2026 के लिखित आवेदन में कहा है कि दि. 23.03. 2026 को समय करीब 10:00 बजे दिन में पीड़िता (x) बोली कि अपनी सहेली से मिलकर आ रही हूँ । काफी खोज–बीन के बाद भी कहीं कुछ पता नहीं चला । सूचिका का दावा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को बहला–फुसलाकर कहीं भगा ले गया है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बिल्कुल ही निर्दोष है । उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है । इस आवेदक को सूचिका द्वारा शंका के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है । पीड़िता ने अपने घारा–180 व 183 भा. ना. सु. सं. के बयान में अपहरण की बात एवं छेड़खानी की बात से इनकार की है । इस वाद की प्राथमिकी काफी विलंब से दाखिल किया गया है । आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । आवेदक न्यायालय के नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए तैयार है । अतः किसी भी शर्त पर आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय ।

विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय कुमार का संयुक्त रूप से कहना है कि पीड़िता ने अपने घारा–180 व 183 भा. ना. सु. सं. के बयान में घटना का समर्थन नहीं की है । न्यायालय द्वारा भेजे गये नोटिस के उपरांत पीड़िता न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित आवेदन की बातों से इनकार करते हुए घ ाारा–180 व 183 भा. ना. सु. सं. में कही गयी बातों को दोहराई है और कही है कि मैं अकेले भागी थी, किसी के साथ नहीं । पीड़िता द्वारा एक आवेदन भी दिया गया है कि इस घटना में आवेदक की संलिप्तता नहीं है ।

उभय पक्षों को सुना । अभिलेख, काण्ड दैनिकी एवं मूल विचारण अभिलेख का अवलोकन किया । सूचिका द्वारा इस वाद में

कवीन्द्र कुमार, सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो,
बिहार शरीफ, नालंदा ।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1482 / 2026
गिरियक(पावापुरी) थाना काण्ड सं0–247 / 2026

लगातार 11.08.2026

अज्ञात के द्वारा कहीं ले जाने की बात कहा गया है । अनुसंघान के क्रम में पीड़िता की बरामदगी के पश्चात पीड़िता ने घारा–180 भा. ना. सु. सं. के बयान के आलोक में आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है । पीड़िता ने घारा–180 भा. ना. सु. सं. के बयान में कही है कि ''दि. 27.02.2026 को अपनी मां एवं दादी के साथ गयाजी किसी रिश्तेदार के यहां गयी थी । वहां से अपनी मर्जी से भागकर पटना चली गयी । पटना से मुम्बई और दिल्ली जाने की बात कही है ।'' पीड़िता ने घारा–183 भा. ना. सु. सं. के बयान में कही है कि ''मैं गया से पटना भाग गयी थी, वहां 15 दिन अकेले रहती थी । मुझे एक लड़की मिली स्टेशन पर वो मेरे साथ रूकी थी । वही मुझे मुंबई ले गयी । मैं अकेले गयी थी मुंबई में । वहां कुछ दिन रहने के बाद पटना वापस आ गयी । मैं अकेले भागी थी, किसी के साथ नहीं । न्यायालय द्वारा भेजे गये नोटिस के उपरांत पीड़िता न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त दोनों बयान को दोहराते हुए कही है कि मैं अपने मर्जी से भागी थी । कोई मुझे भगाकर नहीं ले गया था । जमानत आवेदन के सुनवाई के दौरान पीड़िता द्वारा एक आवेदन भी दाखिल किया गया है कि गयाजी स्टेशन से चले जाने, पटना में ठहरने, मुम्बई जाने व दिल्ली लौटने में किसी भी प्रकार की साजिश व संलिप्तता अंकित कुमार का नहीं है । उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित्य प्रतीत होता है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अंकित कुमार की ओर से मो0–**10,000 x 2** धनराशि के समान प्रतिभू जमानत बंध पत्र इस आदेश के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण या गिरफ्तार किये जाने पर विचारण न्यायालय में दाखिल किये जाने पर न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(कवीन्द्र कुमार)
सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–
विशेष न्यायाधीश–पॉक्सो, बिहार शरीफ, नालंदा ।

पत्रांक–_____ / 2026 दि.

प्रतिलिपि अग्रसारित :–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय, बिहार शरीफ, नालंदा ।

(कवीन्द्र कुमार)
सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश–
विशेष न्यायाधीश–पॉक्सो, बिहार शरीफ, नालंदा ।